>

Title: Need to reconsider the decision to conduct National Eligibility Entrance Test for admission to MBBS courses in English and Hindi medium in the country.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, नेशनल एलीजिबिलिटी एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) को गुजरात में लागू न करने के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने के लिए आपने मुझे जो अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेडीकल विद्या शाखा में प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार ने सिर्फ वेबसाइट के माध्यम से नेशनल एलीजिबिलिटी एन्ट्रेंस टेस्ट (नीट) अगले 2012 के सत्र से समग्र देश में अंग्रेजी और हिन्दी के माध्यम से लेने की घोषणा पर मैं अपनी आपत्ति जताना चाहता हूं। नीट के विरोध में प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं, गुजरात एवं राष्ट्र के कई राज्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं में स्टेट बोर्ड की तरफ से परीक्षा लेते हैं। और तभी विद्या शाखा में प्रवेश देते हैं, मगर सूचित नीट का माध्यम हिन्दी न होने से गुजरात के विद्यार्थियों के साथ अन्याय रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की मार्गदर्शिका के तहत गुजरात सरकार ने 2007 में कानून बनाकर एम.बी.बी.एस. एवं अन्य मैडीकल शाखाओं में प्रवेश के लिए कानून के तहत प्रवेश दिया जाता है। अगर नीट को स्वीकार लिया जाये तो यह कानून में परिवर्तन करना होगा। नीट के सिलेबस और समाविष्ट विषयों के लिए एम.सी.आई. की ओर से कोई भी मार्गदर्शिका घोषित नहीं की गई है।

अगर गुजरात के बारे में देखा जाये तो राज्य की कुल 2750 एम.बी.बी.एस. सीटों में से 15 फीसदी सीट्स ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं और बाकी की 85 फीसदी सीटें गुजरात के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुजरात के विद्यार्थियों पर अन्याय होना सम्भव है। नीट की परिक्षा ऑन लाइन लेने का प्रावधान है, परन्तु राज्य में सभी जगह यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। भारत एक विशाल और भिन्न-भिन्न संस्कृति वाला महान राष्ट्र है। देश में समाविष्ट सभी राज्यों की अलग-अलग संस्कृति है, भौगोलिक स्थिति एवं भिन्नता के तहत, सम्पूर्ण देश में यूनीफार्मल कसौटी लेना कठिन होगा। गुजरात में छात्र एवं छात्राएं इस नई कसौटी को अन्यायपूर्ण और छात्र विरोधी मानते हैं और इसके प्रति राज्य में आन्दोलन चल रहा है।

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में नीट पर रोक लगाई जाये और राज्यों एवं छात्रों के हित में वर्तमान प्रावधानों में संशोधन करके और पारदर्शी बनाया जाये। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : All right, you send your slip to the Table.

Shri Arjun Ram Meghwal is allowed to associate with the issue raised by Dr. Kirit P. Solanki.